हार जीत मायने नहीं रखती, अनुशासन की शुरूआत भी खेलों से ही होती है : सारस्वत

बीकानेर,(कासं)। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में मंगलवार को अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्रीडूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत ने किया।

उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कुलपति डॉ अरूण कुमार ने की। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों के मार्च पास्ट को सलामी दी। कुलपति ने खेलों के शुभारंभ की घोषणा की। समारोह को संबोधित करते हुए श्रीडूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के साथ-साथ फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है। लिहाजा विद्यार्थी खेलों में हिस्सा लें लेकिन नशे का खेल भी चल रहा है इससे बचें। उन्होंने कहा कि खेलों से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। हार जीत ज्यादा मायने नहीं रखती। जीवन में अनुशासन की शुरूआत भी खेलों से ही होती है।

सारस्वत ने कहा कि एसकेआरएयू कुलपति डॉ अरूण कुमार के पास दो जिलों का चार्ज है। खूब व्यस्त रहते हैं बावजूद इसके नवाचार करते रहते हैं। कुलपति डॉ अरूण कुमार ने कहा कि खेलों में हार-जीत चलती रहती है लेकिन विद्यार्थियों के बीच खेलों के दौरान मनभेद ना हो। सभी खिलाड़ी ईमानदारी से और नियमानुसार खेलें। रेफरी के निर्णय का सम्मान करें।

साथ ही कहा कि अगले साल फरवरी में संभवत एसकेआरएयू में इंटर यूनिवर्सिटी खेलों का आयोजन भी हो। वित्त नियंत्रक राजेन्द्र कुमार खत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ी अनुशासित होकर खेलों की प्रैक्टिस करें और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। एसकेआरएयू कुलपति डॉ अरूण कुमार विद्यार्थियों से विशेष स्नेह रखते हैं। शिक्षा, खेलकूद, साफ- सफाई समेत सभी मुद्दों पर वे विद्यार्थियों के साथ हमेशा खड़े नजर आते हैं।

ऐसे कुलपति का होना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। इससे पूर्व स्वागत भाषण देते हुए छात्र कल्याण निदेशक डॉ एन.एस. दहिया ने बताया कि 22 से 25 अक्टूबर तक चलने वाले इन खेलों में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चांदगोठी (चूरू) और मंडावा (झुंझुनूं) कृषि महाविद्यालय के अलावा आईएबीएम, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय और कृषि महाविद्यालय की टीमें हिस्सा ले रही है। धन्यवाद ज्ञापन खेल सचिव डॉ वी. एस. आचार्य ने किया। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरूआत भगवान गणेश की वंदना से हुई। अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत किया गया।

मंच संचालन डॉ मंजू राठौड़ व डॉ सुशील कुमार ने किया। कार्यक्रम में अनुसंधान निदेशक डॉ विजय प्रकाश, प्रसार निदेशक डॉ पी.एस. शेखावत, भू-सदृश्यता एवं राजस्व अर्जन निदेशक डॉ दाताराम, डीन पीजी डॉ राजेश कुमार वर्मा, मानव संसाधन निदेशालय निदेशक डॉ दीपाली धवन, वीसी के ओएसडी डॉ योगेश शर्मा, लाइजन ऑफिसर व पूल अधिकारी डॉ वाई.के. सिंह, डॉ शीशराम यादव समेत विभिन्न कृषि महाविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे।

एकता दौड़ 25 को : फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 अभियान के तहत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य थीम पर एकता दौड़ का आयोजन शुक्रवार को प्रात: 8.30 बजे से किया जायेगा। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने इससे जुड़ी तैयारियों के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है।

उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय दौड़ का शुभारंभ डॉ. करणी सिंह स्टेडियम से होगा। यह नगर निगम, जूनागढ़, श्रीगंगासिंह मूर्ति से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचेगी।

एस.के.आर.ए.यू. में अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह को विधायक ताराचंद सारस्वत ने संबोधित किया।

- **एसकेआरएयू में अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन**

मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण 29 से

बीकानेर,(कासं)। मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 29 अक्टूबर से प्रारम्भ होगा। छह जनवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि ने बताया कि आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 29 अक्टूबर को किया जायेगा। संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की अर्हता तिथि एक जनवरी 2025 रखी गई है। एक जनवरी 2025 को मतदाता पंजीकरण हेतु पात्र हो रहे युवा, प्रारूप प्रकाशन की तिथि से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के प्रपत्र 6 में आवेदन कर सकते हैं। कार्यक्रम के तहत मतदाताओं से 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जायेगी।

नौ और 23 नवम्बर को मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्राम सभा या स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर समिति के साथ बैठक कर पठन एवं सत्यापन किया जायेगा। 10 और 24 नवम्बर को मतदान केन्द्रों पर राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावे आपत्तियों के आवेदन लिए जायेंगे। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 24 दिसम्बर तक किया जायेगा। एक जनवरी 2025 को अंतिम प्रकाशन हेतु आयोग की अनुमति के बाद डेटाबेस को अपडेट एवं पूरक का मुद्रण किया जायेगा।

सार-समाचार

निर्वाण दिवस पर विशेष पूजा-अर्चना

भैंरू कुटिया स्थित सत्यानंद सरस्वती, फागी बाई के समाधि स्थल पर विशेष पूजा-अर्चना की।

बीकानेर, (कासं)। 'हम दूसरों के प्रति भी वही व्यवहार व विचार रखें जो हमें स्वयं को पसंद हों' यह बात समाजसेवी बृजगोपाल जोशी ने भैंरू कुटिया स्थित सत्यानंद सरस्वती फागी बाई के समाधि स्थल पर मंगलवार को उनके 39 वें निर्वाण दिवस पर कही। जोशी ने कहा कि महाराज ने आत्मिक और शाश्वत सुख की प्राप्ति हेतु सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह जैसे मूलभूत सिद्धांत भी बताये और इन सिद्धांतों को अपने जीवन में भी उतारा। साहित्यकार कवि-कथाकार राजेन्द्र जोशी ने कहा कि फागी बाई महाराज जीवन पर्यन्त सदैव प्रभु के साथ मनुष्य की अराधना को महत्व देती रही। उन्होंने कहा था कि गृहस्थ जीवन में परिवार एवं समाज सदैव सर्वोपरी होने के साथ ही मनुष्य की सेवा जरुरी है। मेघातिथि जोशी के अनुसार निर्वाण दिवस पर सुबह आरती, उपासना एवं अभिषेक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दूर-दूर से श्रद्धालु भैंरू कुटिया पहुंचे और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर खूमराज पंवार, शशिशेखर जोशी, देवकीनंद व्यास, गौरीशंकर आचार्य, उमाशंकर आचार्य, नटवर जोशी, शशांक शेखर जोशी, पुर्णेन्दु शेखर जोशी सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित थे।

मेडिकल छात्रों को स्कॉलरशिप बांटी

प्राचार्य डॉ. गुंजन सोनी ने मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट को स्कालरशिप का वितरण किया।

बीकानेर, (कासं)। नारायण हृदयालय अस्पताल बैंगलुरू के सीएसआर फण्ड से मंगलवार को सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर के कुल 60 मेडिकल स्टूडेंट्स को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कुल 18 लाख की स्कॉलरशिप का वितरण प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉ. गुंजन सोनी द्वारा किया गया। डॉ. सोनी ने बताया कि स्कॉलरशिप की राशि चैक के माध्यम से छात्र एवं छात्राओं को उपलब्ध करवाई गई है। स्कॉलरशिप के लिए ऐसे विद्यार्थी लाभान्वित हुए है जो किसी भी अन्य योजना से वंचित रह चुके थे। स्कॉलरशिप के तहत प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष 30,000 रूपये की राशि का चैक वितरित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस हेतु प्राचार्य द्वारा संस्था के अंकित श्रीमाली से कुछ समय पूर्व संपर्क कर वंचित विद्यार्थियों का लाभ दिलवाने के प्रयास किये गये थे। प्राचार्य डॉ. सोनी ने नारायण हृदयालय अस्पताल प्रबंधन का इस पुनीत कार्य के लिए आभार प्रकट किया। इस अवसर पर डॉ. गौतम लूणिया, स्टूडेंट कॉर्डिनेटर भीमसेन शर्मा, मुकेश शर्मा सहित लाभान्वित विद्यार्थी उपस्थित थे।

फरार आरोपी गिरफ्तार

हनुमानगढ़, (कासं)। सदर थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में करीब एक वर्ष से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार 20 जनवरी 2024 को सदर पुलिस थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी एसआई तेजवंत सिंह ने टीम के साथ गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए कार सवार राजेश कुमार, अनीश खां, शहनाज अख्तर व मुकेश के कब्जे से 65 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की थी।

पुलिस ने नाबालिग लड़की को रातभर होटल में रखा

बीकानेर, (कासं)। देशनोक थाने की पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को रातभर होटल में रखा। इसके बाद पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय तक शिकायत पहुंचने के बाद पुलिस विभाग में हड़कम्प मचा हुआ है।

फिलहाल एसपी कावेन्द्र सिंह सागर का कहना है कि नाबालिग को थाने में नहीं रख सकते थे। इसलिए होटल में रखा गया। जहां महिला पुलिसकर्मी मौजूद थी। इसके बाद भी पूरे मामले की जांच की जा रही है।

दरअसल एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मामला देशनोक थाने में दर्ज हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने अयोध्या (उत्तरप्रदेश) से इस नाबालिग को दस्तयाब किया था। अयोध्या से लड़की को बीकानेर लाया गया। इस दौरान उसे नोखा रेलवे स्टेशन पर ही उतार लिया गया। तर्क दिया जा रहा है कि ये रेल देशनोक में नहीं रूकती है। ऐसे में लड़की को एक होटल में रातभर रखा गया। परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई है कि लड़की पर आरोपी के पक्ष में बयान के लिए दबाव डाला।

- **अयोध्या से लड़की को दस्तयाब कर बीकानेर लाया गया, इस दौरान उसे नोखा रेलवे स्टेशन पर ही उतार लिया गया**
- **परिजनों ने पुलिस पर आरोपी के पक्ष में बयान के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया**

सीएमओ तक मामला पहुंच गया। इस मामले को लेकर नोखा थाने में परिजनों ने परिवाद पेश किया। जिसमें आरोप है कि नाबालिग के साथ नोखा के एक होटल में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में आरोपी युवक ने जबरदस्ती की। दरअसल इसी महीने दर्ज देशनोक थाने में एक युवक पर नाबालिग को बहला-फुसलकर भगा ले जाने का मामला दर्ज हुआ था। इसकी जांच हवलदार गोपालदास को दी गई थी। यूपी की अयोध्या पुलिस ने युवक व नाबालिग लड़की के अयोध्या में होने की सूचना दी।

इस पर हवलदार गोपालदास, सिपाही सचिन , महिला कांस्टेबल सुमन अयोध्या पहुंचे। वहां से 17 अक्टूबर को आरोपी युवक, नाबालिग लड़की को लेकर अयोध्या से ट्रेन से बीकानेर ला रहे थे। यह ट्रेन नोखा के बाद सीधे बीकानेर रूकती है। पुलिस का कहना है कि इसी कारण रात करीब साढ़े तीन बजे नोखा में उतर कर एक होटल में रूक गए। यहां से 18 अक्टूबर को पुलिस ने नारी निकेतन भिजवा दिया।

बीरबल चौक तक स्ट्रीट लाइटों को ठीक किया

श्रीगंगानगर,(कासं)। नगर परिषद ने दिनभर स्ट्रीट लाइटों को दुरूस्त करने के लिए अभियान चलाए रखा। सुबह 8 बजे ही परिषद कार्मिकों की टीम व ठेकेदार फर्म के कर्मचारी स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने में जुट गए।

आयुक्त राकेश कुमार अरोड़ा ने बताया कि एसपी ऑफिस से गंगासिंह चौक होते हुए रेलवे रोड, कलेक्ट्रेट रोड व भगत सिंह चौक से बीरबल चौक रोड तक की सभी स्ट्रीट लाइटें दुरूस्त करा दी गई है। परिषद द्वारा दो दिन में करीब 100 स्ट्रीट लाइटें दुरूस्त करा दी गई है। आयुक्त अरोड़ा ने बताया कि कलेक्टर डॉ. मंजू के निर्देश की पालना में शहर में स्ट्रीट लाइटें ठीक करने के लिए अभियान चलाया गया था।

कलेक्टर को परिषद द्वारा करवाए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई है। इस पर कलेक्टर ने दिवाली से पहले सभी स्ट्रीट लाइटें दुरूस्त करने के निर्देश दिए ताकि शहरवासियों में त्यौहार पर अच्छा संदेश जाए।

9.91 ग्राम हेरोइन सहित दो युवक गिरफ्तार

हनुमानगढ़, (कासं)। जिले की जंक्शन थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ जारी जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 9.91 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद कर कार सवार दो युवकों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार मादक पदार्थ, अवैध हथियार, जुआ-सट्टा आदि की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जीरो टोलरेंस अभियान के तहत जंक्शन थाना के एसआई गजेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम थाना क्षेत्र में गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम बाइपास मार्ग स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के नजदीक सार्दुल ब्रांच नहर के पटड़े पर पहुंची।

पुलिस ने वहां से गुजर रही कार नम्बर एचआर 29 एसी 7141 को रुकवाया तो उसमें दो व्यक्ति सवार थे। तलाशी के दौरान कार सवार के कब्जे से 9.91 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

- **जंक्शन थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक कार से तलाशी में हेरोइन बरामद कर दो युवकों को गिरफ्तार किया**

पुलिस ने कार सवार उस्पाक (22) पुत्र लुकमान खान निवासी वार्ड 11, मंडी पीलीबंगा व फरियाद उर्फ यादी (22) पुत्र काले खान निवासी वार्ड पांच, नई खुंजा, हनुमानगढ़ जंक्शन को गिरफ्तार कर लिया। कार जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे की जांच थाना प्रभारी सतपाल बिश्नोई कर रहे हैं। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में एसआई गजेन्द्र शर्मा के अलावा कांस्टेबल अमरचन्द, संदीप कुमार, महेन्द्र कुमार, चन्द्रविजय व जसवीर सिंह शामिल थे।

कचरा निस्तारण मशीन नहीं लगाने से आक्रोश

श्रीगंगानगर, (कासं)। चक 6 जैड ए के ग्रामीणों ने एसडीएम व नगर परिषद आयुक्त से मुलाकात कर आक्रोश जताया कि प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है।

चक 6 जैड डंपिंग प्वाइंट पर 15 अक्टूबर तक कचरा निस्तारण मशीन लगाये जाने के न केवल वादे हुए बल्कि लिखित में समझौता पत्र भी दिया गया। 27 सितम्बर को प्रशासन ने समझौता किया था। जिसमें 5 सूत्रीय मांगों पर सहमति के बाद किसानों व ग्रामीणों ने धरना उठाया। तब नगर परिषद ने 10 अक्टूबर व प्रशासन ने 15 अक्टूबर तक की मोहलत मांगी थी लेकिन आज तक मशीन नहीं लगाई गई।

ऐसे में ग्रामीणों में फिर से प्रशासन के खिलाफ असंतोष फैल रहा है।

ग्रामीण राजकुमार सैनी ने एसडीएम को अवगत कराया कि नगर परिषद ने मच्छर नाशी दवा तक का छिड़काव नहीं कराया है। इस पर एसडीएम ने नगर परिषद आयुक्त राकेश कुमार अरोड़ा को फोन पर मशीन नहीं लगने का कारण पूछा। आयुक्त ने बताया कि ठेकेदार फर्म को कई बार इस संबंध में अवगत कराया जा चुका है। फर्म ने दिवाली तक कचरा प्वाइंट पर मशीन लगाने की बात कही है। अवहेलना की स्थिति में परिषद की ओर से फर्म पर कार्रवाई की जायेगी। इसके बाद ग्रामीण आयुक्त से मिलने नगर परिषद पहुंचे। आयुक्त ने ग्रामीणों से कहा कि नगर परिषद हरसंभव प्रयास कर रही है।

- **समझौता वार्ता का पालन न होने पर ग्रामीणों ने रोष जताया**

पी.बी.एम.के लिए 100 स्ट्रीट लाइटें सौंपी

बीकानेर, (कासं)। बीकानेर नगर निगम महापौर सुशीला कंवर के आदेश की पालना में निगम की ओर से विद्युत विभाग के अधिशाषी अभियंता अनिल कनवाडिया, कनिष्ठ अभियंता हर्षित धवन ने मंगलवार दोपहर प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉ. गुंजन सोनी को 90 वॉट की 100 स्ट्रीट लाइट्स पीबीएम पारिसर के लिए सौंपी।

प्राचार्य डॉ. गुंजन सोनी ने इस नेक कार्य के लिए मेयर सुशीला कंवर का आभार प्रकट करते हुए कहा कि मेयर के इस निर्णय से पीबीएम परिसर में रोशनी की सुविधा सहज ही उपलब्ध हो पायेगी। जिससे मरीजों, कार्मिकां, डॉक्टर्स आदि को रोशनी के अभाव में रात के अंधेरे में होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी। किसी को परेशानी नहीं होगी। मेयर का यह कार्य नर सेवा नारायण सेवा को चरितार्थ करने वाला है।

भैरव व देवताओं को मांस मदिरा चढ़ाना मिथ्यादृष्टि : जैन मुनि

बीकानेर, (कासं)। जैनाचार्य पीयूष सागर सूरिश्वर के सानिध्य में मंगलवार को ढढ्ढा चौक के प्रवचन पंडाल में धर्म चर्चा में बीकानेर के मुनि सम्यक रतन सागर महाराज ने कहा कि जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। प्रत्येक आत्मा में अनंत ज्ञान विद्यमान है।

ज्ञानावणीय कर्म से ढके होने के कारण व रूप में प्रकट नहीं हो पाता। ज्ञान के पांच प्रकार है मति, श्रुत, अवधि, मन: पर्यवज्ञान और केवल ज्ञान। उन्होंने अवधि ज्ञान का विस्तृत वर्णन करते हुए कहा कि कोई सुदेव मांस-मदिरा व अन्य अभक्ष्य सामग्री को चढ़ाने से प्रसन्न होकर साधक के लिए कल्याणकारी नहीं बन सकते।

भैरवजी व अन्य देवताओं को आदि अभक्ष्य सामग्री चढ़ाना मिथ्यादृष्टि है। देवताओं के प्रभाव को अपने शरीर में प्रवेश का स्वांग रचकर दूसरों के जीवनफल बताने, संकटों से मुक्त करने के वादे करने वाले अपनी दुकानदारी व धंधा चलाते हैं। पूर्व व वर्तमान कर्मों के अनुसार मिले विभिन्न तरह के कष्ट व संकट से परेशान भोले भाले लोगों को भ्रमित व गुमराह करने का कार्य करते है। श्रावक-श्राविकाओं को ऐसे लोगों से बचना चाहिए। कष्ट व संकट के समय को परमात्मा का स्मरण करते हुए दृढ़ आत्मबल, धैर्य, शांति और संयम के साथ निकालने का पुरूषार्थ व प्रयास करना चाहिए।

मुनि महाराज ने कहा कि द्रव्य क्षेत्र, काल भाव की मर्यादा लिए जो दिखाई देने वाले पदार्थों को स्पष्ट जाने उसे अवधि ज्ञान कहा गया है। इसको दिव्य दृष्टि ज्ञान भी कहा जाता है। इसमें आत्मा को देखने की शक्ति मिलती है। यह आत्ममात्र सापेक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रकार है। इसमें इंद्रियों की पहुंच से परे चीजों का पता चलता है। जन्म से ही नारकों और देवताओं को अवधि ज्ञान की क्षमता होती है। तीर्थंकरों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। जबकि सामान्य अरिहंतों के लिए ऐसा नहीं होता। उन्होंने बताया कि भव्य प्रत्यय अवधि ज्ञान, भव प्रत्यय व गुण प्रत्यय ज्ञान, अनुगामी अवधि ज्ञान, अन अनुगामी अवधि ज्ञान, वर्तमान अवधि ज्ञान, अप्रतिपाती अवधि ज्ञान। उन्होंने कहा कि देव, नरक व तीर्थंकर की पर्याय को धारण करने वाले जीवों को जो अवधि ज्ञान होता है।

- **कष्ट व संकट से परेशान लोगों को गुमराह करने वालों से बचना चाहिए**

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम) एसबीयू एण्ड पीली-जिप्सम, 02, गांधी नगर, स्टोन, बीकानेर- 334001
फोन नं. : 0151-2200171-75, फैक्स : 0151-2523519/2202842

दिनांक :- 22/10/2024

संशोधित-निविदा सूचना-2

निविदा क्रमांक एवं दिनांक	कार्य का प्रकार
आरएसएमएम/जिप/निविदा-04/(29)/2024-331, दिनांक 09.09.2024 यूबीएन नं. MML2425SSOB00119	आर. एस. एम. एम.एल.ए एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. (जिप्सम), बीकानेर कार्यालय भवन में कैन्टीन संचालन कार्य हेतु । अनुबन्ध राशि रू.- 04.00/- लाख निविदा शुल्क रू. 590/- निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि व समय दिनांक 07.11.2024 समय दोपहर 03.30 तक। निविदा खुलने की तिथि व समय दिनांक 08.11.2024 समय दोपहर 03.30 तक

विस्तृत जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in और www.eproc.rasthan.gov.in और अथवा वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) बीकानेर से सम्पर्क कर सकते है।

राज.संवाद/सी/24/6839 उप महाप्रबन्धक (का.एवं प्रशा.)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगरपरिषद, हनुमानगढ़

क्रमांक- 5641 **लोक सूचना** दिनांक- 22.10.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि खातेदार में (1) श्री मनीष कुमार पुत्र श्री तुलसीराम जाति अग्रवाल निवासी पीलीबंगा स्वयं एवं (2) श्री लोकेश बंसल पुत्र श्री रामप्रसाद बंसल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 18, सूरतगढ़ व श्री जगसीर सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी जरिये मु. आम श्री दीपक सिंगल पुत्र श्री रमेश सिंगल जाति अग्रवाल निवासी श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन (आवासीय योजना) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् -

जिला - तहसील का नाम	ग्राम का नाम	रकबा का विवरण	क्षेत्र
तहसील हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़	49 एन जी सी तहसील हनुमानगढ़	प.न. 123/258 मु.नं. 10 किला नं. 16/0.025 एवं प.न. 124/258 मु.नं. 11, किला नं. 16/0.237, 17/0.253 18/0.253, 19/0.253, 20/0.253 एवं प.न. 125/258 मु.नं. 12 किला नं. 19/4/0.046, 20/0.226, 22/1/0.127, 23/2/0.075 कुल 1.748 हैक्टर	कुल 1.748 हैक्टर यानि 17480 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक .... को जारी की गयी। - प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगरपरिषद् हनुमानगढ़

पीबीएम के सर्वांगीण विकास के लिए भामाशाह सदैव समर्पित : डॉ. सोनी

बीकानेर, (कासं)। सर्व समाज के गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों की सेवा हमारी परंपरा और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और बीकानेर के भामाशाह इसके लिए सदैव समर्पित रहे है आगे भी रहेंगे। यह कहना था बीकानेर के प्रबुद्ध समाजसेवी संस्थाओं के संचालकों एवं प्रतिनिधियों का।

सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य कक्ष में प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉ. गुंजन सोनी की अध्यक्षता में मंगलवार को बीकानेर के प्रतिष्ठित भामाशाहों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान डॉ. सोनी ने सभी गणमान्य भामाशाहों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। बैठक में उपस्थित सभी भामाशाहों ने एक स्वर में कहा कि बीकानेर के विकास के लिए हम सदैव तैयार है लेकिन सरकार और संबंधित अधिकारियों को भी भामाशाहों का सहयोग एवं सम्मान करना चाहिए और नकारात्मक टिप्पणी करने से बचना चाहिए। सरकार को भामाशाहों का सहयोग लेते समय इस बात का खयाल रखना चाहिए कि किसी अपरिहार्य घटनाओं को लेकर गैर जरूरी कारणों का जिम्मेदार भामाशाहों को न बनाया जाए।

सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य कक्ष में प्राचार्य डॉ गुंजन सोनी ने सहयोग के लिए भामाशाहों के साथ चर्चा की।

बैठक के दौरान प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉ. गुंजन सोनी ने कहा कि कोविड काल में भगवान के मंदिर तक बंद करने पड़े लेकिन अस्पताल खुले रहे। ऐसी विकट परिस्थितियों में भामाशाहों ने देवदूत बनकर मरीजों और उनके परिजनों की सेवा सुश्रुषा की। बैठक में अतिरिक्त प्राचार्य प्राचार्य डॉ. अनीता पारीक, डॉ. रेखा आचार्य, डॉ. सुरेंद्र वर्मा, पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर पी. के. सैनी, यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. मुकेश आर्य, भामाशाह नोडल अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार आचार्य आदि मौजूद थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि हल्दीराम मूलचंद हार्ट हॉस्पिटल में कार्डिक सर्जरी पीपीपी मोड पर शुरू करवाने के प्रयास किए जायेंगे।

- **हार्ट हॉस्पिटल में कार्डिक सर्जरी पीपीपी मोड पर शुरू कराने का निर्णय लिया**

गायत्री राठौड़ से मिले विधायक व्यास

बीकानेर, (कासं)। बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने मंगलवार को जयपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ से मुलाकात की।

विधायक ने एसडीएम राजकीय जिला चिकित्सालय को 300 बैड के हॉस्पिटल के रूप में क्रमोन्नत करने की घोषणा पर आभार जताया। उन्होंने बताया कि यह पुराने शहरी क्षेत्र का प्रमुख अस्पताल है। इसमें सुविधाओं का विकास होने से पीबीएम अस्पताल पर भार कम होगा और आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं शहरी क्षेत्र में मिल सकेंगी। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा जिला अस्पताल में सिविल कार्यों के लिए 114.89 करोड़ तथा उपकरणों के लिए 30 करोड़ रूपये सहित कुल लगभग 144 करोड़ रूपये के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए गए थे। यह प्रस्ताव अगले दो दशकों की आवश्यकता के आधार पर भिजवाए गए हैं।

राजस्थान आवासन मण्डल
RAJASTHAN HOUSING BOARD
(राज.आवा.मण्डल अधिनियम 1970 के तहत गठित राज्य सरकार का उपक्रम)
(A State Government Enterprise Constituted Under RHB Act 1970)
वृत-बीकानेर, **Circle-Bikaner**
क्रमांक:-उआआ/आरएचबी/बीका/2024-25/659 दिनांक :- 18.10.2024

आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की सामान्य पंजीकरण योजना 1977 में चालान संख्या 3498 द्वारा रूपये 100/- जमा करवाकर श्रीमति राजरानी पत्नि श्री वीर भारत ने आवास आवंटन हेतु पंजीकरण करवाया था। आवंटी को आवास सं. 3-ग-11 पवनपुरी योजना, बीकानेर का कुल क्षेत्रफल 59.00वर्गमीटर का आवंटन पत्र क्रमांक 5210 दिनांक 29.07.1978 को जारी किया गया था। मूल आवंटी श्रीमति राजरानी पत्नि श्री वीर भारत के नाम मण्डल रिकॉर्ड के अनुसार दिनांक 30.03.1991 कन्वेशडीड/परिपिज्युल को जारी कर दी गई थी उक्त आवास उप पजीयन कार्यालय बीकानेर में दिनांक 30.03.1991 को पंजीकृत हैं।

तद्पश्चात् श्रीमति राजरानी की मृत्यु दिनांक 05.09.1993 को एवम उनके पति श्री वीर भारत की मृत्यु दिनांक 28.12.1986 को हो जाने कारण उनके पुत्र श्री समीर उपाध्याय ने मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र, जायज वारिस प्रमाण पत्र एवम निर्धरित शूल्क जमा करवाकर आवास संख्या 3-ग-11 पवनपुरी, बीकानेर अपने पक्ष में हस्तातंरण/प्रतिस्थापन करने हेतु आवेदन किया हैं। श्री समीर उपाध्याय पुत्र स्व. श्री वीर भारत ने समस्त पंजीयन प्रपत्रों की सत्यापित छायाप्रति, निर्धारित शुल्क की रसीद जमा करवाकर मण्डल रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करने हेतु आवेदन किया है। श्री समीर उपाध्याय पुत्र स्व. श्री वीर भारत का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज करने की कार्यावाही विचाराधीन है। यदि किसी व्यक्ति/हितकारी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 10 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री समीर उपाध्याय पुत्र स्व. श्री वीर भारत का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर लिया जाएगा। यदि उक्त आवास में उनके वारिसों एवम् अन्य कोई भी व्यक्ति द्वारा न्यायालय/पुलिस थाना में किसी भी प्रकार का कोई वाद-विवाद पाया गया तो आवंटी स्वयं जिम्मेदार होगा।

सहायक आवासन अधिकारी
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत्त बीकानेर